

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: वि.सं. 07/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-I/2025-26

दिनांक : 17.07.2025

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लिपि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय) सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकारणीय और खजुरी लेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शैली) नियम, 2014 के अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 10 वर्षों के बहुत 6500 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद रखाई है एवं विभाग से प्राप्त विषयावार रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/उत्तरी की जा सकती है) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	गैर अनुसूचित क्रेच हेतु पद	अनुसूचित क्रेच हेतु पद	कुल पद
01	हिन्दी	1005	47	1052
02	अंग्रेजी	1150	155	1305
03	संस्कृत	842	98	940
04	गणित	1184	201	1385
05	विज्ञान	1160	195	1355
06	सामाजिक विज्ञान	401	0	401
07	उर्दू	48	0	48
08	पंजाबी	11	0	11
09	सिंधी	02	0	02
10	मुज़ावाती	01	0	01
	योग	5804	696	6500

३४८

अनुसन्धित सेवा परं गैर अनुसन्धित सेवा की समर्पण विभिन्नतों का उपायकरण प्रयत्न को आजोग सामा लीभी प्राप्ती कर मिला साहस्राय

विशेष नोट :-

- अनुसूचित हेतु के अपर्याप्ती गैर अनुसूचित हेतु परी रिप्रियावों के विकल्प भी जावेदान कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित हेतु के नियासित उम्मीदी अनुसूचित हेतु एवं गैर अनुसूचित हेतु के पदों के संबंध में अपर्याप्ती प्राप्तमिकाला ज्ञान (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में मध्ये। अनुसूचित हेतु के पदों के विकल्प लेवल हाजिरानां राज्य उन अनुसूचित हेतु के अपर्याप्ती ही ऑफलाइन आवेदन कहते हैं। अन्य हेतु के अन्मीठी गैरि अनुसूचित हेतु के पदों के सिलेंजे जावेदान करते हैं तो वे आवश्यक होते। अनुसूचित हेतु के लिए आवेदन करने वाले अपर्याप्ती को अनुसूचित हेतु के नियासित होने का प्रमाण यह ग्राहकसंख्या आवश्यक अर्थात् सातों नागरों जाने पर प्रत्यक्षता करना होता अवश्या आवश्यक होते।
  - हित्याचारी – गैरि अनुसूचित हेतु के अन्मीठी अनुसूचित हेतु में ही कार्य/सेवा करना चाहतो है तो आवश्यक रूप से अनुसूचित हेतु वो प्राप्तमिकाला देते।
  - गैरि अपर्याप्ती एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे द्वायेक मध्य से लिए प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष ऑफलाइन आवेदन-प्रक्रम प्रक्रिया लागत होता।

2. यदि अपर्याप्त एक से अधिक विषयों के लिए अलग-अलग नक्शों का उपयोग किया जाता है तो वह विषयों पर लिखने की अवसरा देता है।

2. वायर सम्बन्धी दूषक से जलवाया प्रभाव होता है। आयोजन करना आवश्यक है। यह दूषक जलवाया नदि के लिए दूषक-प्रबंधन कानूनोंका अनुसार—प्रति प्रदूषक वायरा होना।

नोट :-

- कार्यिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्यिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध न होने वाली दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पती तीन भर्ती वर्षों के लिए अवधीन ठिकाना दिया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों वाली समाप्ति के पश्चात् ऐसी अपनीत की वई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियन के प्रयोगाने के लिए संघर्षित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी विज्ञ पश्चात्पती वर्षों में उपलब्ध हो।
  - राजस्थान राज्य के ऊर्ध्वर्क रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पर्दों छेदु पात्र एवं उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पर्दों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष विशेष में या तो किसी या विचित्रन विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में वात्र और उपयुक्त अन्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विवाहों के विचित्रन विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विवाह और विचित्रन विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा अन्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी विवाहों उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और वात्र तथा सुपयुक्त महिला अन्यर्थीयों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अन्यर्थीयों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अन्यर्थीयों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चात्पती वर्ष के लिए अपनीत नहीं की जायेगी। विवाहों और विचित्रन विवाह/परिवर्तना/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रदर्श के भीतर लैटिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में व्यवित्र सहिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विलङ्घ समायोजित किया जायेगा।
  - विशेष अन्यर्थी/नियाकातजन के लिए दक्षाति वर्ग पर्दों का आरक्षण वीलिंग (Horizontal) है अर्थात् अन्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।
  - राजस्थान नियिल सेप (भूतपूर्व सीनिकों का आनेलन) नियन्, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सीनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रयोगवार वीलिंग (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सीनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनको लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जावेगी और रिक्तियों यी सनान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अपनीत की जायेगी तथा तपत्प्रसात् ऐसी रिक्तियां व्यवगत हो जायेगी।
  - राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियन्, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंडमार्क निःलक्षणजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अपनीत की जावेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंडमार्क निःलक्षणजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःलक्षण की नियाकरित रिक्तियों में अन्तररपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई नियाकातजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोगकालीन रिक्तियों को नियाकातजन की अलगा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सीनिक छेदु पात्र आरक्षित पर्दों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल नियाकरितों को ही देय है। अन्य राज्यों द्वारा आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय लालौल्ल न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य की भाँति जी दिव्यांगोंपाना राजस्थान राज्य की मूल नियाकाती बन जाती है तो उसे public employment में एसी/एसटी/ओवीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्गों के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
  - कार्यिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 द्वारा 21.11.2019 के अनुसार ही उत्तराखण्ड विलाही की पात्रता रखने वाले अन्यर्थीयों को आरक्षण का लाभ देय होगा। टिप्पणी—“विन्दु लंब्धा 01 से 08 तक के प्रावधान संवर्धित वर्ग के अन्तर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगी।”

अनियार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :

- (1) हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंहली एवं गुजराती विषय के लिये/- Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects :- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) – Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects:-History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अन्यथा को बांधित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुचय व आयु इत्यादि) होने पर भी Online आवेदन करना चाहिए तथा प्रति ऐसे अन्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।  
 2. असत्य एवं गलत लक्षणों के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना सार्वजनिक चाचा लक्षण।

2. जनाया एवं प्रतीकात्मक विवरणों के आधार पर आवेदन करना तथा अहत नहीं होने पर भा उस प्रत्याहारण (Withdrawal) गहि किया जाना भारतीय न्याय सूक्ष्मा, 2023 (BNS) की बारा 217 के तहत अपर्याप्त अपराध है। ऐसे अपर्याप्ती को कालान्चार में कलान्तरसिंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवरिति (Debar) किया जाएगा।

महात्मा बद्री की अपेक्षित शोधाणिता अवसरा के अवधि वह ने पर्यावरण संस्थानियों से जुड़कर ग्राम संविधान और जल की समस्याएँ विस्तृत रूप से अध्ययन की।

संबोधी प्रावधान

ने का अवधारणा करता है कि आपने वय की प्रक्रिया में समानांतर ही चुंबक या समानांतर ही रहा है, जोली ब्लॉक भी आवश्यक करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आधीन द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अंडाता अर्जित करने का सम्भव नहीं होगा।

वेतन का उत्तरांश पै-ईप्पड	पै-ईट्रिक्स लेवल L-II (Grade Pay -4200/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवहनाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।	
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। नोट :- पद क्रम संख्या 1 से 8 तक के पद आपेंग द्वारा वर्ष 2024 में विज्ञापित किये गये थे जिसके बाहर आयु की गणना का आधार 01.01.2025 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रमों हेतु जो अन्धर्यादी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्कालानुसार अधिकतम आयु सीमा में अन्धर्यादी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्कालानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त मूल्य देय होगी। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अन्धर्यादी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्कालानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त मूल्य देय होगी।	
विज्ञापित पदों के अनुकूल दरायि गवे अप्रक्रित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्काल		
क्र.सं.	अन्धर्यादी का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष	5 वर्ष Five Years
	Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	
2.	राजस्थान वी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामाज्य (अनारोहित) वर्ग की नाइट्स Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विवाह एवं विड्युल विवाह (परिवत्यक्त) महिला  Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कठी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसंबंध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर सुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।  The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
6.	उस भूतपूर्व कठी के मामले में जो अपनी दोषसंबंध के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भूतपूर्व कठी के बलावधि के बहावर की अवधि ती छूट दी जाएगी।  The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जिसने सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी यहां परिवर्त परिवर्तित आयु सीमा में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें नियांसित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।  The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यस्थ व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।  The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.	
9.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन वार्नीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कर्मीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा जहां उन्होंने आयोग के समस्त उपरिवर्त होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बताते हैं कि वे सेवा में कर्मीशन याहां करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।  The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा जहां वे आयोग के समस्त आधिकारियों तक पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।  The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकाओं का अमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेविकाओं का अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन सिविलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक नियकता है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी जिन्होंने सीधी चर्ची की दरां में जाहां नियमात्मक पद का अनुभव अनिवार्य है वह 55 वर्ष की अधिकतम लप्ती आयु सीमा लागू होगी।  According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 15 years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.  स्पष्टीकरण - कार्यक्रम (क-2) विनाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकाओं का अमेलन) नियम, 1988 व्यावसायिक प्राक्कालानी के होती हुए भी जिसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु सेवी जो सिविलिटा अन्य लोक सेवकों/अन्धर्यादी व्यक्तियों को देय है, वह भूतपूर्व सेविक को भी देय होगी अर्थात् आयु सेवी शिविलिटा के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितका प्राप्तवान है, उसका लाभ भूतपूर्व सेविकों को नियत है।	
12.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार दिव्यांगजन व्यक्तियों को लिए कपर उत्तरांशित छूटी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।  According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों द्वारा देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्कालानी जिनमें सामाज्य विष्वति में अधिकतम आयु सीमा से कम/ उक्त की आयु सीमा में छूट दी गई हो, त्वयः ही नियमात्मकी माने जायेंगे।		
नोट -	<ol style="list-style-type: none"> <li>उपरोक्त नर्तिंत आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंघर्षीय (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्धर्यादीयों को उपरोक्त नर्तिंत की भी एक प्रावधान आपातकालीन आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राक्कालानी को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।</li> <li>उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार क्षणीय आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्राक्कालान के अनुसार विशेष योग्यजन को उपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।</li> <li>कार्यक्रम (क-2) विनाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बात् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी भैंसी के लिए आशिक वर्षों हेतु यदि किसी अन्धर्यादी द्वारा भूत्वक के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिलिकल फिलेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामाज्य (अनारोहित) रिक्षियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।</li> <li>राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष तक है। इससिंह नियुक्ति दिनांक तक आयुर्वी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</li> <li>अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्कालान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अकिल किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की विष्वति में अंग्रेजी भाषा में अकिल प्रावधान ही मान्य होगी।</li> </ol>	
अन्य विवरण		
वयन प्रक्रिया	अन्धर्यादी का वयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। अवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरांशित/उत्तरापुर्णित के मूल्यांकन में स्कैलिंग/मोडलेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को आपातका जा सकेगा। संदर्भित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा लप्तुकरण पाये गए अन्धर्यादीयों के नाम साम्य लम्बात् प्राक्कालानी को अनुशृण्टि किया जायेगा।	
परीक्षा का स्थान एवं नाम	परीक्षा स्थान व लिंग के संबंध में व्यावधान गृहीत किया जायेगा।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के लिए में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम आयोग द्वारा व्यवस्थापन की जायेगी।	

आवेदन अधिकारी	दिनांक 19.04.2025 से दिनांक 17.09.2025 तात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त वर्ष हेतु ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अन्धर्यों आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदूपरान्त ही अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्धर्यों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का नाम/हिस्सा जाना जायेगा तथा प्रति किसी विविध भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राक्कान ही लागू होंगे।</p> <p>2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्धर्यों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रक्षेत्र वार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्धर्यों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकंडरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्हाज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होगे।</p> <p>3. जिन अन्धर्यों द्वारा पूर्ण में OTR किया जा चुका है, वे अन्धर्यों एस.एस.ओ. पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।</p> <p>4. अन्धर्यों द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकंडरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। उक्त OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अकिल विवरण का हैक्सापिक दस्तावेजों में अकिल प्रविष्टियों से साक्षात्तीयपूर्वक निलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Corrections) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।</p> <p><b>Note:</b> ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्धर्यों अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीव/परवत ले लेंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लम्बी हुई फोटो तीन बर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि यथा फोटो को अपलोड कर लें ताकि सही लाइन आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश—पत्र में प्रिंट कोटी का निलान आधार कार्ड में लम्बी हुई फोटो से किया जायेगा।</p> <p>5. अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइन फोटो अपलोड करें। अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता जो सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।</p> <p>6. अन्धर्यों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं दोयों छाथ की अंगूठा निशानी की रूपैयां फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अनियांगर की उपरिक्षित में अन्धर्यों के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।</p> <p>7. अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन अधिकारी के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केंद्र में उपरिक्षित पत्रक पर वसा करने हेतु राश लेकर आयें।</p> <p>8. अन्धर्यों को श्रुतलेखक की सुनिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुनिक्षा देना नहीं होगी।</p> <p>9. अन्धर्यों आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी रैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता: एवं आवश्यक तीर पर अकिल लें।</p> <p>10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (Application No.) अकिल या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं करना जायेगा।</p> <p>11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई साक्षरता भी तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर संबंधित करें।</p> <p>12. आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन—लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथा सूचने पर आयोग अन्धर्यों पर डिवार सहित नियन्त्रनुसार कार्यवाही के लिए स्पर्शत होगा।</p> <p>13. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की लीनीलेवर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से मिल राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/अधिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।</p> <p>14. अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हाई कोपी का ग्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लें।</p> <p>15. अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर अवलोकन करें यद्योंकि आयोग यह परीक्षाओं/सही संबंधित समस्त सूचनाएं अधार की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>16. आयोग द्वारा अन्धर्यों से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने के अंतिमिति किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से भरा सूचा आवेदन—पत्र स्थीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पञ्चाबार स्थीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना— ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अन्धर्यों ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दशादि गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के लिए जो अंतिम विवरण का उपयोग करना आवश्यक है—</p> <p>1. यदि कोई अन्धर्यों अपने Online आवेदन पत्र में दशादि संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अकिल के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर नियर्सित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpse.rajasthan.gov.in">https://rpse.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशनानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्धर्यों का ही होगा।</p> <p>2. आयोग द्वारा प्रथम प्रोत्तिपंथीक आयोजन की हिति से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसकी अंतर्गत अन्धर्यों के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अंतिमिति उक्त अवधि से सुचित किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अन्धर्यों का ही होगा।</p> <p>3. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के पश्चात् आधार की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय—समय पर अवलोकन करें यद्योंकि आयोग यह परीक्षाओं/सही संबंधित समस्त सूचनाएं अधार की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।</p> <p>4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् आधार की वेबसाइट पर जाएगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।</p> <p>5. राजी प्रकार के अनुमति संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।</p> <p>6. आयोग द्वारा अन्धर्यों के उक्त प्रक्रिया या अंतिमिति उक्त प्रक्रिया के अवधि से सुचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जायेगी।</p> <p>7. आयोग द्वारा अन्धर्यों से उक्त प्रक्रिया या अंतिमिति उक्त प्रक्रिया के अवधि से सुचित किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन नहीं किया जायेगा।</p> <p><b>एकावारीय पंजीयन शुल्क — एकावारीय पंजीयन दिनांक 19.04.2023 के द्वारा राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में एकावारीय पंजीयन शुल्क नियर्सित किया गया है जो नियन्त्रनुसार है—</b></p> <p>1. सामान्य (जननावधि)/पिछड़ा वर्ग के लीनीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग के लीनीलेवर के अन्धर्यों — रूपये 800/-</p> <p>2. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग—नौन लीनीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग—नौन लीनीलेवर/ आधिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहारिया आवेदन जाति) — रूपये 400/-</p> <p>3. दिव्यांगजन — रूपये 400/-</p> <p><b>नोट :-</b></p> <p>1. राजस्थान राज्य से मिल अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अन्धर्यों को सामान्य वर्ग का अन्धर्यों नाम जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अन्धर्यों के अन्धर्यों के लिए नियर्सित पंजीयन शुल्क देना होगा।</p> <p>2. जिन अन्धर्यों द्वारा पूर्व में बन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अन्धर्यों भी एसएसआई आधीक्षी द्वारा नींग इन कर बन टाईम रजिस्ट्रेशन के अधिकान पर जाकर उपर्युक्तानुसार नियांरित एकावारीय पंजीयन शुल्क जाना कराएं।</p> <p>एकावारीय पंजीयन शुल्क जन करने के पश्चात् परीक्षाओं में उपनिवेशी के लिए कार्डिक (क्र-2) विभाग द्वारा वरिष्ठ दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है—</p> <p>(i) कोई अन्धर्यों आवेदन/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक पंजीयन वर्ग (दिनांक 01 जप्रैल से 31 मार्च) में आयोगित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपरिवेशीत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अन्धर्यों के ऑनलाइन आवेदन करने की सुनिक्षा को प्रतिवर्त्यित (Block) कर दिया जाएगा।</p> <p>(ii) अन्धर्यों द्वारा शुल्क 750/- रूपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकावारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जाएगा।</p> <p>(iii) एक भार ओटीरुप चालू (Unblock) होने पर यदि अन्धर्यों उसी पंजीयन वर्ग में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुनिक्षा को पुनः प्रतिवर्त्यित (Block) कर दिया जाएगा।</p> <p>(iv)एक प्रतिवर्त्यित O.T.R. को अन्धर्यों के द्वारा राशि रूपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओटीआर सुविधा पुनः चालू की जाएगी।</p>

Dr.

**दिप्पनी-यदि कोई आवेदक विनियोगी कारबों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा लिखि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहारित किये जाने पर इस परीक्षा में ऑटीआर प्रतिविविधत करने के संबंध में अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।**

**विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अन्यथीयों को भूतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विशेष नियमः-**

1. अन्यथीं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी में जाने तथा भूतलेखक संबंधी विवाद्य का बयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यथीं को आयोग द्वारा जारी नियमों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथीं को भूतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथीं जो तथा का भूतलेखक लाना चाहते हैं, उन अन्यथीयों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित विकिल्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथीं एवं भूतलेखक का बचन-पत्र, भूतलेखक के फोटो प्रहारन पत्र व ईकाइक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केंद्रस्वीकृत को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अन्यथीं जो आयोग/केंद्रस्वीकृत से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथीयों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाचित विकिल्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथीं का बचन-पत्र केंद्रस्वीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निश्चलता) की विशेषाधित (Blindness), लोकोमोटर विशेषिती (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं सेंसरल पाली श्रेणी वाले अन्यथीं द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का विकिल्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथीं एवं भूतलेखक का बचन-पत्र के बालार पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त अन्यथीं के अलावा Section-2(r) के तहत परिभासित अन्य श्रेणी के मानसे में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विकिल्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/विकिल्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का विकिल्सा प्रमाण पत्र एवं भूतलेखक का बचन-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभासित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मानसे में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य विकिल्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/विकिल्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का विकिल्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अन्यथीयों को भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अन्यथीयों को भूतलेखक की सुविधा देय होगा अन्यथा भूतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
6. भूतलेखक के संबंध में विस्तृत नियमों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अपलोड करें। वेबसाईट पर उपलब्ध भूतलेखक संबंधी इन नियमों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा नामा जायेगा।

#### Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher

The Examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and Paper-II shall be of 300 marks.

#### PAPER – I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:-  
  - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
  - (ii) Current Affairs of Rajasthan
  - (iii) General knowledge of world and India
  - (iv) Educational Psychology
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान विशिल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्कानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णीकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

#### PAPER – II

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes.
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान विशिल सेवा भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्कानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णीकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

6. Paper shall include following subjects :-

- (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
- (ii) knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
- (iii) Teaching methods of relevant subject.

**उत्तम पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ऑफिशियल उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष नियमः-**

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
2. It is mandatory to fill one option for each question.
3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

**आठ भाग्यपूर्ण बिन्दु/नोट :-**

1. अन्यथी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, अपेक्षित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी नामी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से आहत है। ऑनलाइन आवेदन में अपेक्षित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी, बदलने/बद्ध होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अन्यथी नीं तथा की जिम्मेदारी होगी।
2. अन्यथी अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अनियंत्रित रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रतिटियों से आवश्यक हो ले दिए जानी विविधियों सही भी नहीं हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रतिटियों को ही सही मनकर आयोग द्वारा जारी की जायेगी।
3. अन्यथी आयोग द्वारा नियमित समय सीमा में आवेदन की अनियंत्रित विवरण का इन्तजार किये जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अन्यथी तथा की जिम्मेदार होगा।
4. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी रूप से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रतिटिडि/मूल्यवान त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तथा की जिम्मेदारी। इसके लिए आवेदक संविधान ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्जी प्रतिटियों की जीवंत आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उसका सुधारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जीवंत आवश्यक रूप से पुनः करें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की नियमित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन मा ऑफिलाइन संशोधन/परिवर्तन संशोधन की जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण वायित रूप अन्यथी का होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिस्तायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्वीकृत से आवेदन करता है, तो आवेदक तथा अन्य स्वीकृत पर जावेदार करता है। ई-मित्र अथवा अन्य स्वीकृत से आवेदन करता है, तो आवेदक तथा जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अन्यथी के विकल्प कार्यवाही किये जाने हेतु रखता है।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से मिल श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिचयाग महत्वे द्वारा आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात श्रेणी में सुधार की चुकिता/अनुसूचित नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी समय पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक स्पष्ट से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सीनिक/अनुसूचित श्रेणी/विद्या/विजित/विजापन/विजापन/तलाकशुदा/परित्यका/विकलांगता/साज कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यथा Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित श्रेणी में करे अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अनिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अन्यथाओं को जो कि अपने संलिपित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विजित पर्याप्त होता है देय नहीं होकर आवेदक द्वारा अनेलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/दर्ता भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा विजापन की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा विजापन की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा अनेलाईन आवेदन-पत्र नहीं है तब संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि अनेलाईन आवेदन अवेदन-पत्र/दस्तावेज को किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होती है।
7. आवेदक जिनके अनेलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक दिनांक पत्र तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगी, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परिका/साकारात्मक में प्रवेश दिया जाएगा। परीका के लिये प्रवेश-पत्र आयोग द्वारा तर्ही भर्ती का बह अभियाय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से सही भर्ती गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा तर्ही भर्ती गई है। आयोग जिनाग द्वारा आवेदकों की पात्रता जी जीव अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र अनेलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्राप्तित फोटो प्रतियों एवं परीका हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र भी प्राप्ती भी अपलोड करनी होगी।
- आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जीव मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अन्यथा की आयु शैक्षणिक गोम्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सीनिक/अनुसूचित श्रेणी/विद्या/विजित/विजापन/तलाकशुदा/परित्यका/विकलांगता/साज कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विजापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के परिमाणस्वरूप अन्यथा की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीका हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी सार पर रद्द नी जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्यथा की होती है।
8. किसी भर्ती परीका में अस्थाई रूप से सकल शोधित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्यथा को विस्तृत आवेदन पत्र अनेलाईन भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त बह लिक रूप से सही जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्थिकार नहीं किया जायेगा। एवं अन्यथा की अस्थिरिता रूप से चयन की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्यथा की होती है।
9. माननीय उच्च न्यायालय, जज्घुपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरप्पेलसी बनाम वियंग जैन व अन्य के प्रकरण में परित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार अनेलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक विद्या/परित्यका/विजित/विजापन/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्यान पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
10. अनेलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सुधार लेशोधन अवधि के पश्यात छोटे अन्यथा आकस्मिक रूप से विद्यांग/विद्या हो जाता/जारी है तो उसे लिखित परीका/संवीकार परीका/साकारात्मक के अतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विद्या हेतु आधार-कर्ड, मूल्य प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (व्या-विद्याप्राप्ति-प्रमाण-पत्र, राजन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नवाजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, पर्टी के नाम से मूल विजापन पत्र इत्यादि) तथा दिवान हेतु निःशासन प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का अनेलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति स्वीकृत प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकृत होगा। जिसी परीका के एक से अधिक वरण होने पर प्रथम वरण की परीका उपरान्त अन्यथा विद्या/विद्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर विद्यु/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
11. विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति विजापन/विद्याप्राप्ति महिला अन्यथा की अनेलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक विद्या/परित्यका/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक के पश्यान पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
12. विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग/के भी महिला की अनेलाईन आवेदन की अतिम दिनांक तक एवं लिखित भी अवधि विद्या के द्वारा वर्ग/के भी महिला की अनेलाईन आवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
13. आवेदक उक्त पद वर्ग हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विजापन में निर्धारित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण नानदण्ड/मानदण्ड पूर्ण करता हो। विजापन में दो नई वाचित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विजापन में चलिंगित अनुसार शैक्षणिक/प्रैक्टिशियन योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
14. आवेदक को इस विजापन में दो गई आयु सीमा में घूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नत आयु एवं अधिकातम आयु संबंधी घूट नहीं दी जायेगी।
15. परीकार्यालयों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत विद्या-निर्देशों की पालन भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।
16. परीका के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुरितान में अवित दिशा-निर्देशों को व्याप्त में रखते हुए परीका विद्या जाना आवश्यक होगा, परीकार्यालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुरितान में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीकार्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रस्तुतर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आगे के विशेष विवरणों के लिए उत्तर करने पर उसे वर्ग/के भी महिला की अवेदन की अतिम दिनांक तक एवं लिखित अवधि के द्वारा विद्या के द्वारा वर्ग/के भी महिला की अवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
18. परीकार्यालय द्वारा विद्याप्राप्ति विजापन/विद्याप्राप्ति महिला अन्यथा की अनेलाईन आवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/परित्यका/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग में आवेदक महिला की अवेदन की अतिम दिनांक तक विद्याप्राप्ति विजापन/विद्याप्राप्ति महिला की अवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
19. परीकार्यालय द्वारा विद्याप्राप्ति विजापन/विद्याप्राप्ति की विवाद के द्वारा विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग में आवेदक की अवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/परित्यका/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
20. राज्य कर्मचारी जो देय लाभ यथा आयुर्लीना में घूट, आस्थाप्रस्तुत करने के साथ वर्ग के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केंद्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्यथा ही माने जायेगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

#### प्रमाण-पत्रों का संशोधन :-

- आवेदक को वर्ग परीका (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सीनिक/अनुसूचित श्रेणी/विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग) के अन्यथा अवधार करने/परीका के अवधार करने पर उसके विवाद न्यायालय, जज्घुपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्धारणसार] प्रस्तुत करने पर ही आस्था भर लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यका/तलाकशुदा/विजित/विजापन में निर्धारित है एवं लिखित अनेलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम दिनांक तक विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
1. कार्यिक (क-2) विद्याप्राप्ति विजापन/विद्याप्राप्ति विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सीनिक/अनुसूचित श्रेणी/विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग में आवेदक की अवेदन की अतिम दिनांक तक विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- \* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विवाद की परिवर्तन विवाद के द्वारा विद्या/विजित/विजापन/विद्याप्राप्ति वर्ग के अन्यथा अवधार करने पर उसके विवाद न्यायालय, जज्घुपुर में निर्धारित प्रपत्र यह जारी किया जाता है तथा अनिम विविध के परिवर्तन वर्ग का लाभ दिया जायेगा। यदि किसी अन्यथा के परिवर्तन विवाद विवाद करने पर उसके विवाद न्यायालय, जज्घुपुर में निर्धारित प्रपत्र यह जारी किया जायेगा।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं जीवीलेयर की प्रविधियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाद न्यायालय, जज्घुपुर में निर्धारित प्रपत्र यह जारी किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाद न्यायालय, जज्घुपुर में निर्धारित प्रपत्र यह जारी किया जायेगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जीवीलेयर के अन्यथाओं को आक्षय का लाभ देय नहीं है। उस ऐसे अन्यथाओं को Online Application Form में सानाम्य वर्ग के आवेदक को लाभ में जावेदार करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र साकारा प्राप्तिकारी द्वारा विद्याप्राप्ति विवाद की अधिसूचना विवाद के द्वारा विद्याप्राप्ति विवाद की अनिम विविध के परिवर्तन वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विधाइत महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग के लाभ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त प्रतिक्रिया के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे दर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

6. अधिक सूची से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण—पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यथा एवं उसके प्रति के नाम को बताते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये।

Note: विधाइत महिला आवेदक के लिए E.W.T प्रमाण पत्र वित्ती के नाम से तथा पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

7. शैक्षणिक/प्रीशैक्षणिक योग्यता/अनुमति आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अंतिम होना आवश्यक है तथा ऐसी प्रमाण पत्र जैसे— श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित हेतु श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्दिष्ट प्रतिक्रिया में प्रमाण—पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सीकंडरी परीक्षा प्रमाण—पत्र), उल्लिखित विलासी (आदेश की वैधताहृष्ट पर उपलब्ध दिशा—निर्देशानुसार प्रमाण—पत्र), विद्यांगता\* (सम्पूर्ण भारत मर्द के लिए श्रेणी वैधताहृष्ट के साथ विविधता अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिसमें विद्यांगता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), जात्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित गवर्नरी, भौत्रालयिक लर्नर्सारी, विमानीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण विवाहानुसार जारी होना आवश्यक है। विधाइत श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र एवं पति के नाम से संलिंग प्रमाण पत्र (वैध परिवार संबोधन प्रमाण—पत्र, राजन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नवाचाला पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संबोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधाइत श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परिवर्तका/ तलाकशुदा/ विविध विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा परिचित तलाक सम्बद्धी दिली (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोडपुर ने DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवर्तका/ विविध विवाह/ तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

\*नोट— निवेशालय विवेष योग्यतान के आदेश दिनांक 28.02.2024 के प्रवाहात जारी नवीन विद्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D. / राजावलम्बन घोटल से जारी किये हुए ही मान्य होंगे।

8. मूलपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाण—पत्रांक (क-2) विभाग की कलिस्यना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया/नवी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/ही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से नियोजित प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी। किन्तु परवर्त्तन से पूर्व उसी सम्बूद्धि नियुक्ति प्राधिकारी के सभ्या सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पति कोई मूलपूर्व सैनिक नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व व्यक्तिनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी परवर्त्तन कालावधि को सिद्धिल कर सकता और उसे उससी सेवानिवृत्ति के दो नाम यी कालावधि के भीतर पद बदल करने के लिए अनुमति किया जायेगा। कार्यांक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 18.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम दिनांक से की जायेगी। साथ ही यदि विधी भूतपूर्व सैनिक ने आकाशण का लाभ लेने के पश्चात राजस्थान सरकार के अधीन पेशन लिया है तो उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रारिष्ठिति सामाजिक जारी रखायी जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजित यहाण करने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक विविल कर्मचारी बना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में याहाँ किसी भी पद के लिए, किसी नियानाम पद का अनुबन्ध अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी नियन्त्रण पद, पद एवं विविल करने के लिए अपेक्षित है, पर यहाण करने से पूर्व, विविल पदों के लिए आवेदन करता है और संकेतित नियोजित को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारिष्ठिक पद बदल करने से पूर्व, विविल पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख—वार बीते की बारे ने कोई रुक्त घोषणा पत्र/वक्तव्य देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसी राजस्थान सरकार के अधीन नियोजित/सेविया/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवरित नहीं किया जायेगा। “कार्यांक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आनेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देव लाभ, राजस्थान साध्य के मूल नियासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।”

9. शासन के परिवर्तनाकालीन विभाग पत्र(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र की जारी होने की दिनांक से राजसीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अन्यथा, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे/संतान हो, जो उसी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों के बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और भी कि जारी किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्कालीन प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों के पैदा होती है, वहीं बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई रूपमा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय एकी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और नियन्त्रण हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्यथा नियन्त्रण पुनर्विद्याह किया है जो किसी विविल के विवर नहीं है और यह ऐसे पुनर्विद्याह से पूर्व इस उपनिवेश के अधीन नियुक्ति के लिए नियान्त्रण नहीं है तो उसे नियर्क्षित विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लाभ नहीं होगा। तत्सम्बन्धी गपथ—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेच्यानुसार आवश्यक वाचित शैक्षणिक योग्यता व अनुबन्ध प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विविल ऐसी किसी आपराधिक घटना का उल्लेख नहीं होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

12. विविध विवाह/ तलाकशुदा/ परिवर्तका श्रेणी की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह महिला को आवेदन की अंतिम दिनांक तक अथवा विवाह के द्वारा वर्ग/श्रेणी संबोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संबोधन की दिनांक तक पुनर्विद्याह नहीं किये जाने संभवी शास्य पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अनिन्दी शैक्षणिक संख्या का छारित्र प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम “अच्छा” का उल्लेख/अंकित होगा।

14. आवेदक को चयन उपचारात्मक आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के विविल ऐसी किसी आपराधिक घटना का उल्लेख नहीं होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को घरन्तु प्रस्तुत करना समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी विविल संघीय सम्बन्धी विकल्प प्रमाण—पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से रक्षित है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णत उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा कौन्दीय/राज्य/सरकारी उपकारी में नियुक्त है एवं उनका घरन्तु उपर्युक्त भर्ती में हो गया है, उन्हें उपर्युक्त नियोजित से अन्यापति प्रमाण—पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अन्यथा जो प्रतिक्रिया के संबंध में संभवित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन—पत्र में गलत/बहिर्पूर्ण सचिना/अपूर्ण आवेदन—पत्र नहीं माले को सम्बन्ध ने विशेष निर्देश

अधिकारी औंगलाईन आयेन-पत्र माने से पूर्व एकवारीय परीक्षण शुल्क, आयेन प्रक्रिया, प्रमाण चर्चा से संबंधित शून्य एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थी ही आयोग द्वारा आयोग वी वेसाइट पर जारी नहीं किया गया एवं लोशीपिट आयेन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित संसा नियमों का आयोगन आवश्यक रूप से करते हुए आयेन-पत्र मरी। गलत/ त्रुटिपूर्ण सूचना या अवृत्त आयेन-पत्र भरने पर आयोगक का आयेन-पत्र पदक जरूर दरक तर दिया जायेगा, जिसकी साझी जिम्मेदारी रख्य आयेनक वी होती तथा गलत/ त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आयेन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिगत/ ऑफिसलाईन प्रार्थना-पत्र/ ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/ पत्र-व्यापार व्यापारि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयेन द्वारा अधिकारी वी पात्रता नी जान सम्बंधित भी परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अलाई लप से लापनित अधिकारीय द्वारा प्रत्युत आयेन-पत्र से पूर्ण में किये गये औंगलाईन आयेन-पत्र में भी गई सूचना को सही मानते हुए भी परीक्षा में अस्वाई प्रयोग दिया जायेगा। अब अधिकारी द्वारा औंगलाईन आयेन-पत्र में गलत/ त्रुटिपूर्ण सूचना अवका अपूर्ण सूचना भरी है, तो अधिकारी वा उचित उद्देश करने का अधिकार आयोग का हैना व इसकी सकल जिम्मेदारी उद्देशक वी होती जिसके साथन में अधिकारी वी कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा प्रत्यक्षित विज्ञापन में विभिन्न पद हेतु समस्त शिखित उचामुख्यर स्पष्ट ही जा सकते हैं अगर लिए भी आवंटक/ई-प्रिंट/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार जी लोई गती/ट्रॉट/लॉट/अपनी सूची रह जाती है एवं उपर्युक्त विभिन्न प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवश्यक जांचित और नियमों की विज्ञापन हो जाती है यह विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पाकान नहीं सकता है इसलिये के कारण आवेदक का ऑनलाइन/स्लिप्रूल आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज /निरस्त कर दिया जाता है तो इस सम्बन्ध में किसी प्रबन्धना-पारा पर विवाद नहीं किया जाता एवं अभ्यर्थी को जारी होनी चाही

**कृच विनु व सूक्ष्मा** – एक शब्दीय पंजीयन ग्रन्थ, अवैदन प्रक्रिया, प्रवाण पत्रों से संबंधित सूक्ष्मा एवं परीक्षा से संबंधित अथवा विनु व सूक्ष्मा के लिए आवेदग की देखसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संरक्षित परीक्षार्डियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामाजिक दिशा-निर्देश तथा साम्बन्धित लेका नियमों का अवैदन आवश्यक रूप से कर जाए। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के राश्वक में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अपलोडन आवेदग की देखसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिसी भी प्रक्रिया के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आवेदग, अवैदन व जीवितर में स्थित खाताएँ कर पर अपलोड कर से अलग सूचाएँ रों – 0145-2836212 एवं 2835200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सामर्त्य पत्र अवधार संस्कृत गांधीस्थान लोक सेवा आवेदग, अवैदन की सम्बोधित किया जाए।

177125.

(रामनिवास भेहता) —३—

साधन

क्रमांक: E-8-A(06)Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/BPSC/EP-I/2025-26/HH

**प्रतिलिपि:-** निवेशक, निवेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, शैक्षणिक को उनके पञ्च शिक्षित / मा / संस्था / एफ-१(RPSC) / 12102/अर्थवा(वा.वा.-विभिन्न विषय) / सीधी  
उत्तरा / 2025-41132-78000445 विभिन्न 15.07.2025 की तारीख से अनुच्छेद लिखें।

卷之三

संग्रहालय समिति